168

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1509–एक/16 विरूद्व आदेश दिनांक 05.05.16 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 128/अपील/2014–15.

उपेन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम लखनपुरा तहसील
सबलगढ़ जिला मुरैना म0प्र0 ––– आवेदक

विरूद्ध

1– रमेश । पुत्र किशनलाल कडेरा
2– जितेन्द्र पुत्र रमेश कड़ेरा
3– सत्यभान पुत्र नरेश सिंह ठाकुर
निवासीगण ग्राम लखनपुरा तहसील
सबलगढ़ जिला मुरैना म0प्र0

––– अनावेदकगण

आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी
अनावेदकगण के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17–10–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 128/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05.05.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लखनपुरा के कोटवार श्री जनवेद पुत्र श्री किशनलाल कड़ेरा द्वारा दिनांक 01.07.13 को गंभीर बीमारी के कारण कोटवार के पद से त्याग पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया त्याग–पत्र में आवेदक उपेन्द्र सिंह को कोटवार पद पर नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 01/2012–13/अ–56 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 01.07.2013 को कोटवार जनवेद का त्यागपत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक उपेन्द्र सिंह जादौन को ग्राम लखनपुरा के कोटवार पद पर अस्थायी नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2013 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के न्यायालय में अनावेदक रमेश द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 52/2012–13/अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 8.1.14 से अपील निरस्त की गयी । विचारण न्यायालय द्वारा स्थायी कोटवार की नियुक्ति करने हेतु दिनांक 19.3.14 को उद्घोषणा जारी की गयी। स्थायी कोटवार पद पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक तथा अनावेदकगण के आवेदन पत्र प्राप्त हुये । विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.8.14 को आवेदक श्री उपेन्द्र सिंह जादौन को ग्राम लखनपुरा का स्थायी कोटवार नियुक्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.8.14 से परिवेदित होकर अनावेदकगण रमेश आदि ने अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 55/2013–14/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 18.02.2015 से अपील निरस्त की गयी। जिससे परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अनावेदकगण रमेश आदि द्वारा प्रस्तुत की गई जो 128/अपील/2014–15 पर दर्ज होकर उस में आदेश दिनांक 05.05.16 पारित कर अपील स्वीकार की गई, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी उपेन्द्र सिंह द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के एक मत से दिये गये आदेशों को निरस्त करने में अपने विचारधिकार का उचित

प्रयोग नहीं किया है । तहसीलदार ने प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख के आधारों पर आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जो कोटवार के संपर्क में रहते हैं के विवके एवं स्थानीय परिस्थितियों एवं जानकारी के आधार पर जो आदेश पारित किया जता है उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की थी। अपर आयुक्त ने मूलतः इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है कि कोटवार की नियुक्ति में पूर्व कोटवार के परिवार के सदस्य को अग्रमान्यता दी जानी चाहिये। पूर्व कोटवार जनवेद आवेदक के साथ रहते थे क्यों कि उनके परिवार के सदस्यों ने जो अब निकट संबंधी होने के कारण अग्र मान्यता चाहते हैं। जनवेद को उत्पीडित एवं परेशान करते थे, इसी कारण जनवेद आवेदक को अपने साथ रखते थे, तथा आवेदक से कोटवारी के कार्यो में मदद लेते थे। उनके द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है जनवेद ने स्वयं आवेदक को अपने स्थान पर कोटवार नियुक्त करने की प्रार्थना इसी कारण की थी। जनवेद की पत्नी एवं पुत्र ने भी जनवेद के निर्णय पर सहमति प्रकट करते हुये आवेदक को कोटवार नियुक्त करने में कोई आपत्ति न होना तहसील न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत किया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी तर्क किया है कि अनावेदक रमेश कोटवार पद पर नियुक्त होने की पात्रता नहीं रखता है क्यों कि उसे अपर सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्व पाया गया था, तथा उसे दण्डित किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश ने अनावेदक रमेश को 15 दिवस के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया था। दण्डित व्यक्ति कोटवार पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखता हैं अपर आयुक्त ने अनावेदक को दिये गये दण्ड की जिस प्रकार व्याख्या करते हुये उसे जिम्मेदारी जाग्रत करने वाला मानने में त्रुटि की है। अन्त में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग का आदेश निरस्त कर आवेदक को न्याय दान दिया जावे।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि ग्राम लखनपुरा में पहिले किशुनलाल कोटवार थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद किशुन लाल का बड़ा लड़का जनवेद

कोटवार बना। जनवेद बीमार रहता था। अनावेदक रमेश जनवेद का सगा भाई है व अनावेदक–2 जितेन्द्र किशुनलाल का नाती है। ये दोनों ही जनवेद के स्थान पर कोटवार का कार्य करते थे। जनवेद के इलाज में पैसा उपेन्द्र सिंह खर्च करता था इसलिये उपेन्द्र सिंह द्वारा जनवेद से पैसों के दबाव में आकर अपने हक में आवेदन पत्र लिखा लिया तथा जनवेद द्वारा उपेन्द्र सिंह को कोटवार के पद पर नियुक्ति किये जाने की अनुशंसा की गयी । विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.13 को जनवेद का स्तीफा स्वीकार किया तथा उपेन्द्र सिंह को अस्थाई कोटवार नियुक्त किया गया। अनावेदक रमेश आदि द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो निरस्त हुयी तथा स्थायी कोटवार की नियुक्ति बावत प्रकरण विचारण न्यायाल में प्रचलित हुआ। अपीलार्थीगण तथा प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय ने ग्रम पंचायत से ठहराव मांगा। उपेन्द्र सिंह द्वारा बलपूर्वक पूर्व कोटवार तथा उसके परिवार की सहमति बताते हुये उनकी इच्छानुसार अपने हक में ठहराव करा लिया गया, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कोई ठहराव पारित नहीं किया गया था। सरपंच व अन्य पंचों द्वारा अनावेदक रमेश के हक में ठहराव पारित किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताविक अनावेदक रमेश पर धारा 58/88 का प्रकरण चला था जिसमें अपीलार्थी रमेश पर 500/– रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर बरी किया गया है। अनावेदक रमेश पर धारा 323 भा.द.वि. जो कि सामान्य धारा है, उसके आधार पर अनावेदक को चरित्रहीन होने की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि इस संबंध में 2009 किमिनल जनरल पेज 1508 तथा अ.आई.आर. 1996 एस.सी. 3300 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अनावेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि अनावेदक के परिवार में हमेशा से कोटवारी रही हैं इस कारण कोटवार का अनुभव आवेदक को ज्यादा है। कोटवार नियुक्त करते समय कोटवार के निकटतम संबंधी को प्राथमिकता दी जाना है। इस संबंध में 1986 रे0 नि0 296, 1992 रे0 नि0 192 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया। अनावेदक के अधिवक्ता अपने तर्क में यह भी बताया है कि ग्राम पंचायत की राय महत्वपूर्ण नहीं है। अस्थाई कोटवार के रूप में अनुभव भी

महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्व कोटवार के निकट संबंधी को अग्रमान्यता दी जाना चाहिये। इससंबंध में 1995 रे0 नि0 135, 1997 रे0 नि0 7 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वांतों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम लखनपुरा के कोटवार जनवेद पुत्र किशनलाल के द्वारा दिनांक 14.6.13 को कोटवार के पद से त्याग–पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 14.6.13 को ही आवेदक उपेन्द्र सिंह जादौन पुत्र श्री केशवसिंह जादौन का आवेदन पत्र कोटवार के पद पर नियुक्त बाबत् प्रस्तुत किया गया। दोनों आवेदनों पर कोई प्रस्तुतीकरण की तारीख नहीं है। इससे यह पता नहीं चलता है कि यह आवेदन पत्र किसे व किस दिनांक को प्रस्तुत किये गये हैं, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 1.7.13 को प्रथम आदेश पत्रिका के द्वारा जनवेद का त्याग पत्र स्वीकार किया गया तथा आवेदक उपेन्द्र सिंह को कोटवार के पद पर अस्थायी नियुक्त किया गया।

विचारण न्यायालय की प्रकरण पत्रिका में जनवेद पत्नी संजू, पुत्र अनूप एवं आवेदक उपेन्द्र सिंह के कथन संलग्न हैं इन कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन सभी के कथनों में विरोधाभास हैं उपेन्द्र सिंह ने अपने कथनों में जनवेद को 05 साल से बीमार होने की बात कही है। स्वयं जनवेद ने अपने कथन में अपनी बीमारी 03 साल से होना बताई है तथा जनवेद के पुत्र ओर पत्नी के द्वारा दिये गये कथनों में जनवेद 02 साल से बीमार होने का उल्लेख किया गया है। जनवेद के द्वारा अपने कथन में उल्लेख किया है कि उसके 3 पुत्र हैं जो रायपुर (छ0ग0) में रहते हैं। अनूप जो कि जनवेद का पुत्र है वह गार्ड है, वह सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता हैं जब अनूप बाहर था तो उसके कथन विचारण न्यायालय के समक्ष कैसे संभव है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोटवार जनवेद के द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। उसने उपेन्द्र सिंह को कोटवार बनाये जाने की अनुशंसा की गयी है किन्तु जनवेद की पत्नी एवं पुत्र द्वारा उपेन्द्र सिंह के संबंध में कथन देना आश्चर्यजनक स्थिति है। आवेदन पत्र अनावेदक उपेन्द्र सिंह द्वारा दबाव में आकर जनवेद से त्यागपत्र दिलवाया गया

है। जनवेद को भी विवश होकर अपना कोटवारी का पद छोड़ना पड़ा जबकि जनवेद बीमार था तो उसके स्थान पर उसके पुत्र को भी कोटवार बनाया जा सकता था। यदि उसका पुत्र कोटवार का कार्य करने के लिये तैयार नहीं था तो उसके निकट संबंधी उसके भाई रमेश को कोटवार बनाया जाना चाहिये था जैसा कि कोटवार के संबंध में निर्मित नियमों में कोटवार के निकट संबंधी को अग्रमान्यता प्रदान की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा एक ही दिन में सारी प्रकिया पूर्ण करते हुये आदेश पारित किया गया जो नियमों तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत था। अनावेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक के परिवार में हमेशा से कोटवारी रही है। जनवेद से पहिले कोटवार जनवेद के पिता किशनलाल थे जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण किशुनलाल के स्थान पर जनवेद को कोटवार बनाया गया। अनावेदक जनवेद के भाई एवं भतीजा हैं। जनवेद की बीमारी के समय यही दोनों कोटवारी का कार्य करते थे। अभिलेख से यह प्रकट है कि किशुनलाल की मृत्यु होने के बाद विचारण न्यायालय के प्रकरण कमांक 1/अ–56/93–94 में पारित आदेश दिनांक 30.8.93 से जनवेद को ग्राम लखनपुरा का कोटवार नियुक्त किया गया था किशुनलाल के बड़े पुत्र जनवेद के अलावा एक और पुत्र अनावेदक रमेश हैं, अतः यह स्पष्ट है कि अनावेदक को कोटवारी का अनुभव रहा है, तथा जनवेद के बीमार होने की दशा में उसके द्वारा ही कार्य किया गया है जैसा कि अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया गया हैं ऐसी स्थिति में उपेन्द्र सिंह के बजाय रमेश को अग्रमान्यता दी जाना चाहिये थी। विचारण न्यायालय का अभिलेख देखने से स्पष्ट है कि स्थाई कोटवार की प्रकिया प्रारंभ की गई जिसमें उद्घोषणा जारी करते हुये 21.4.14 दिनांक तक आवेदन आमत्रित किये गये जिसमें चार आवेदन प्राप्त हुये जिनमें केवल तीन नामों का उल्लेख है जितेन्द्र के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेशों में मुख्यतः यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि आवेदक उपेन्द्र सिंह सभी उम्मीदवारों में अधिक योग्यता रखता है तथा उसके हक में ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसा की गयी है। अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.6.14 को आवेदक उपेन्द्रसिंह को कोटवार जाने की सिफारिस की गयी । इसके विपरीत 3 दिन के बाद

ही दिनांक 8.6.14 को सरपंच ग्राम पंचायत शिवलालपुरा तथा अन्य पंचगणों के द्वारा पंचनामा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये उल्लेख किया गया था कि आवेदक उपेन्द्र सिंह द्वारा दबाव में आकर बिना किसी राय के प्रस्ताव पारित किया गया है, हम पंचान के मत से रमेश पुत्र किशनलाल को कोटवार के पद पर नियुक्त किया जावे। इसके अलावा अनावेदक रमेश के पक्ष में कोटवार संघ द्वारा भी रमेश को कोटवार के पद पर नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है। कोटवार संघ के द्वारा अपनी कोटवारी को उपेन्द्र सिंह को बैच दिया है। इसके एवज में जनवेद उपेन्द्र सिंह को कोटवारी देना चाहता है। कोटवारी बेचने की चीज नहीं हैं हालांकि यह सिफारिशें बंधनकारी नहीं हैं फिर भी इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अनावेदक के अधिवक्ता के इस तर्क को बल प्राप्त है कि अधिक शिक्षा तथा कोटवारी का अनुभव महत्वहीन है क्यों कि कोटवार के पद छोड़ने से उसके निकट संबंधी को अग्रमान्यता प्रदान की गयी हैं 1980 आर0एन0 279 जगन्नाथ विरूद्व रामेश्वर में इसी न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 230 कोटवारी नियम–(2) नियम 4 (2)–कोटवार की नियुक्ति निकट संबंधी को अग्रमान्यता दी जाना चाहिये इसके आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया हे कि धारा 230 कोटवारी नियम–2 नियुक्ति–अन्य पदाभिलासियों से अधिक शिक्षा तथा कोटवारी काम का अनुभव–ऐसी योग्यता को तहत्व नहीं दिया जाना चाहिये ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नियुक्त के लिये कोई आधार नहीं। 1995 रे0 नि0 135 शान्तुमुनिदास विरूद्व बिटामिन बाई तथा एक अन्य में इसी न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 230 कोटवारी नियम –नियम 4 (2) व्याप्ति पुलिस से परामर्श–अभ्यर्थियों के चरित्र प्रमाण पत्र बुलाना पर्याप्त है। अस्थाई कोटवार के रूप में अनुभव महत्वहीन हैं, भूतपूर्व कोटवार का निकट संबंधी अग्रमान्यता दी जाना चाहिये। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि आवेदक उपेन्द्र सिंह को दिनांक 1.7.13 को अस्थाई कोटवार नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 29.8.2014 को उसे कोटवार का अनुभव होना मानकर स्थाई कोटवार नियुक्त किया गया। इस एक वर्ष के कार्यकाल को कोटवार का अनुभव होना नहीं माना जा सकता है।

6– अनावेदक रमेश पर मान0 अपर सत्र न्यायधीश सबलगढ़ द्वारा धारा 323 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराध में 500/– रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था, माननीय न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके द्वारा निभाई गई भूमिका भी अधिक गंभीर नहीं है। अनावेदक अधिवक्ता के इस तर्क से बल मिलता है कि जो उस पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है वह उसकी जिम्मेदारी को जाग्रत करने के उददेश्य से किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी मेमों के कमांक 4 में यह उल्लेख किया गया है कि परिवार वाले निकट संबंधी जनवेद को उत्पीड़ित करते थे इसीलिये वह आवेदक उपेन्द्र सिंह को अपने साथ रखता था, लेकिन इससे यह सावित नहीं होता है कि अगर वह उत्पीड़ित करते थे तो उनके द्वारा कभी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जिससे से यह तर्क भी आवेदक अधिवक्ता का मानने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनके द्वारा प्र0 क0 128/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.5.2016 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर